

परिवहन विभाग

नोटिस

पत्रांक-06/ फिटनेस-(ATS) 45/2022 4254

पटना, दिनांक- 22/5/2025

प्रेषित:-

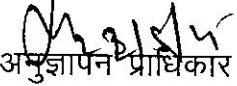
Dhiraj Kumar Singh,
Address-Chhawahi khas, Dist-Gopalganj.
E-mail:- garimamotor@gmail.com,

वजरिये इस सूचना से सूचित किया है कि आपको Mauja-Loheriy, Thana/Anchal-Chanpatiy. में स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना हेतु विभागीय पत्रांक-1212 दिनांक-22.02.2022 द्वारा प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र सं0-45/2022, दिनांक-22.02.2022 से 21.08.2022 तक की अवधि के लिए निर्गत किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया द्वारा उनके पत्रांक-119 दिनांक-20.04.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन के स्थापना हेतु इच्छुक नहीं हैं साथ ही आपके पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र (PRC) सं0-45/2022 रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक-1291, दिनांक-13.02.2025 द्वारा निर्गत नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए इच्छुक नहीं हैं। इस कारण स्वचालित परीक्षण स्टेशन के निर्माण हेतु आपके निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आपके द्वारा विभागीय नोटिस का कोई प्रति उत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

अतः आपको सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए दिनांक-28.05.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे अधोहरस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। उक्त तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे, अन्यथा आपके पक्ष में निर्गत प्रारंभिक निबंधन प्रमाण-पत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।


अनुज्ञापन प्राधिकार

-सह-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

पत्रांक:- 4254

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित की जायेगी। उक्त नोटिस का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित किया जाय।


अनुज्ञापन प्राधिकार

-सह-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।